Tinna Rubber And Infrastructure Limited
CIN NO. : L51909DL1987PLC027186
Regd. Office : Tinna House, No-6, Sultanpur, Mandi Road,
Mehrauli,New Delhi -110030 (INDIA)
Tel. : (011) 35657373 (90 Lines)
Fax : (011) 2680 7073
E-mail : tinna.delhi@tinna.in
URL - www.tinna.in

Date: October 23, 2026

To,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

To,
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051

BSE Scrip: 530475

NSE Symbol: TINNARUBR

ISIN: INE015C01016

SUBJECT: NEWSPAPER ADVERTISEMENT PURSUANT TO REGULATION 30 AND 47 OF THE SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

Dear Sir/Madam,

In compliance with Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, we hereby enclose copies of newspaper advertisement of un-audited financial results (standalone and consolidated) of the Company for the second quarter and half year ended on September 30, 2026, published today i.e. October 23, 2026 in following newspapers:-

1. Financial Express (All editions) - English Language
2. Jansatta (All editions) - Hindi Language

The aforesaid publications shall also be available on Company's website at https://tinna.in/notices-announcements/

You are requested to take the same on your records

Thanking you

Yours faithfully

For **TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED**

SANJAY KUMAR RAWAT
Digitally signed by SANJAY KUMAR RAWAT
Date: 2026.10.23 12:46:28 +05'30'

Sanjay Kumar Rawat
Company Secretary
ICSI M. No. : ACS23729

Enclosure: as above

DISCOMS FACE SIXFOLD DIFFERENCE IN DAYTIME AND EVENING ELECTRICITY RATES

Rooftop solar a new test for discoms

SAURAV ANAND
New Delhi, October 22

INDIA'S ROOFTOP SOLAR boom is exposing a growing mismatch in the economics of electricity supply, with households exporting cheaper power during the day and drawing costlier electricity after sunset while receiving equal billing credit for both. As the difference between daytime and evening electricity prices reaches sixfold, energy think tank Ember has called for reforms in existing net-metering rules and greater integration of battery storage to ease financial and grid-management pressures on power distribution companies (discoms).

The problem lies in how electricity generated by rooftop solar panels is accounted for. Most households consume less power during the day, when solar generation is highest, and more in the evening, when their panels stop generating electricity.

Under the existing net-metering arrangement examined by Ember, surplus electricity generated during the day is supplied to the grid and credited to the household's account. These credits are then adjusted against electricity consumed later, effectively allowing consumers to use the grid as a nearly free battery.

The catch is that electricity does not cost the same throughout the day.

According to Ember's study, prices in the day-ahead electricity market fell to around ₹1.56 per unit during solar-heavy hours in July 2026, while reaching ₹10 per unit during evening peaks.

Despite this difference, one unit exported during the day can offset one unit consumed in the evening, irrespective of its market value. This means discoms may have to credit cheaper daytime electricity against power purchased at significantly higher prices after sunset.

The arrangement has helped encourage rooftop solar adoption, but its economics are becoming increasingly difficult to sustain as more households install solar panels, the study said.

"India's rooftop solar boom is an opportunity to get ahead of the grid challenge, rather than wait for it to arrive. With more than 5 million households already adopting rooftop solar under PM Surya Ghar, we should be building storage alongside that capacity, not years later," said Ruchita Shah, energy analyst, Asia, at Ember.

India's rooftop solar capacity has tripled since FY19, reaching 30.7 gigawatts (GW) in July 2026, accounting for 19% of the country's total installed solar capacity of 164.6 GW. Residential installations under PM Surya Ghar alone accounted for 14.9 GW across 5 million households.

The financial impact on discoms extends beyond higher evening power procurement costs. Under net-metering, households pay for electricity consumed after adjusting their solar exports. This can push consumers into lower tariff slabs, reducing revenue of discoms even when actual electricity consumption remains unchanged.

For instance, the report cited a Maharashtra household consuming 450 units monthly, where the energy and wheeling charges for the last 150 units are ₹16.64 per unit.

If the household installs a 3-kilowatt (kW) rooftop solar system generating around 350 units, its billed consumption falls to 100 units, attracting a lower rate of ₹5.56 per unit. The discom consequently loses revenue from higher-priced electricity sales.

To address these challenges, Ember has suggested combining rooftop solar with household batteries, allowing consumers to store surplus daytime electricity and use it in the evening instead of drawing power from the grid.

THE PRICING PROBLEM

- Surplus power generated during the day is supplied to the grid and credited to the household's account
- The credits are then adjusted against power consumed later, allowing consumers to use the grid as a nearly free battery
- Prices in the day-ahead electricity market fell to around **₹1.56 per unit** during solar-heavy hours in July 2026



- The prices reached **₹10 per unit** during evening peaks
- Billing reforms, battery integration may ease grid pressure

Keralam, Assam and Karnataka report strong capex in H1

PRASANTA SAHU
New Delhi, October 22

CAPITAL EXPENDITURE BY Karnataka, Keralam and Assam rose between 30-58% year-on-year in the first half of FY27, even as tax revenue growth strengthened across all the three states.

Keralam recorded the sharpest capex increase at 57.6% to ₹11,597 crore, followed by Assam at 51.7% to ₹15,437 crore and Karnataka at 30% to ₹21,297 crore.

Keralam's tax collections rose 21.7% y-o-y to ₹62,506 crore in H1FY27, compared with 8.2% growth in the corresponding period last year. Karnataka's tax revenues rose 18.9% to ₹1.36 lakh crore, up from 8.8% a year earlier. Assam recorded 16.2% growth to ₹41,924 crore, up from 14.6% in H1FY26.

Revenue expenditure trends, however, varied across these states. Kerala's revenue spending increased 16.2% to ₹95,551 crore, accelerating from 6.7% growth in H1FY26.

Assam's revenue expenditure rose 4.2% to ₹49,683 crore, compared with 6.4% growth a year earlier. Karnataka's revenue expenditure declined 7.4% to ₹1.19 lakh crore, reversing an 11% increase in the year-ago period.

Keralam's borrowings and liabilities rose 15.3% to ₹35,468 crore in H1FY27. Karnataka reported a net repayment of ₹6,119 crore against ₹16,807 crore borrowed a year earlier.

The Centre is nudging states and public sector enterprises to keep the momentum in capex to boost economic activity even as private capex has started to expand.

The key challenge for all three states will be sustaining capital spending while keeping fiscal pressures in check.

In this context, states' spending on subsidies has a bearing on their productive spending.

Aggregate subsidy bill for 20 major states is estimated at ₹5.39 lakh crore in FY27, only marginally higher than the ₹5.31 lakh crore spent in FY26. Over ₹4.94 lakh crore was spent on this front in FY25.

The near-flat aggregate, however, masks substantial shifts in spending across states.

Karnataka remains the biggest spender, with its subsidy and financial assistance outlay projected to rise 9% to ₹1.03 lakh crore in FY27. Tamil Nadu, the second-largest spender in FY26, has budgeted a 15.7% reduction to ₹61,097 crore.

ECONOMIC PUSH

Key indicators in H1 FY27
(%, growth, on year)



PM to attend 2-day BRICS Parliamentary Forum meet

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 22

A TWO-DAY conference of the 12th BRICS Parliamentary Forum will take place in New Delhi on October 26-27 with the attendance of presiding officers, members of parliament and delegates from member nations, Lok Sabha Speaker Om Birla said on Thursday.

Prime Minister Narendra Modi will attend the event and interact with the leaders of the visiting delegates.

"The two-day conference will include both bilateral and multilateral discussions. Presiding officers, members of parliament and other dignitaries from BRICS and partner countries will brainstorm on strategic priorities for parliaments," Birla said at a press conference.

The speaker mentioned that global parliamentary leadership will assemble in New Delhi under India's chairship for the landmark event focused on people-centric development.

"Deliberations will cover Parliamentary responses to institutional resilience, ethical AI, digital transformation, global governance reform and sustainable development," he said.

The international affairs committee of BRICS members and partner countries will also discuss parliamentary diplomacy, capacity building, and best practices.

Birla highlighted that the Forum will revolve around the overarching theme 'Fostering Parliaments for People-Centric Development.' Building on the legacy of the BRICS Parliamentary Forum, the conference aims to encourage consensus-based dialogue through four high-level sessions: Resilience: The critical role of parliament in strengthening institutional resilience for a better future.

India curtailed RE enough to supply 1.9 mn homes for a month

SAURAV ANAND
New Delhi, October 22

INDIA CURTAILED 378.52 MILLION units of available solar and wind electricity in September — enough to meet the monthly power requirement of nearly 1.9 million households consuming 200 units each — even as the electricity system struggled with tight supplies during evening hours, when solar generation disappears.

Simply put, renewable plants had electricity available to generate during parts of the day, but were asked to reduce output because the grid could not absorb or balance all of it at that time. A few hours later, after sunset, the system needed more power to meet household and industrial demand.

September's curtailment was equivalent to 1.28% of the country's renewable generation, according to Grid-India data analysed by JMK Research & Analytics. One million units (MU) equals one million units of electricity. A cumulative 118.6 GW of renewable capacity was affected by curtailment instructions during the month — 96.9 GW of solar and 21.7 GW of wind. JMK clarified that this figure is the cumulative sum of capacity affected on different days and does not mean 118.6 GW was switched off simultaneously.

The mismatch assumes significance as India faced a 560-MU electricity shortage in September, the highest since August 2023, while peak demand touched 269 GW. The challenge is particularly sharp after sunset, when solar output falls and the grid has to depend more heavily on coal, hydro and other sources.

Most of September's renewable curtailment was also not simply because transmission lines were congested.

Of the 378.52 MU curtailed, 231.79 MU, or 61%, was through Emergency TRAS Down, where generators are asked to cut output to keep electricity supply and demand balanced. Another 146.73 MU, or 39%, was due to real-time system constraints, including congestion and operating limits.

"This suggests that September's curtailment was driven mainly by the need to balance the power system, rather than by grid congestion alone," JMK Research said.

Solar accounted for 314 MU, or 83%, of the electricity curtailed during September. Wind curtailment stood at 64.98 MU, nearly three times the year-ago level, lifting its share of total curtailment to 17% from 4.7%.

Jubilant Pharmova Limited
(CIN: L24116UP1978PLC004624)
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244223, Uttar Pradesh, India
Website: www.jubilantpharmova.com
Email: investors@jubl.com **Phone:** +91-5924-267437

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Master Circular No. HO/38/13/(4)2026 MIRSD POD/I/4298/2026 dated February 06, 2026, and in continuation of the newspaper advertisement published by the Company on February 26, 2026, April 29, 2026, June 30, 2026 and August 29, 2026 shareholders of the Company are hereby informed that a special window will remain open for the transfer and dematerialisation of physical securities that were sold or purchased prior to April 01, 2019 for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027.
This special window shall also be available for relodgement of transfer deeds that were origially lodged prior to April 1, 2019 but were rejected, returned, or remained unattended due to documentation or procedural deficiencies or otherwise.
All securities processed under this window shall be issued only in dematerialised form and will be subject to a mandatory lock-in period of one year from the date of registration of transfer, during which such securities shall not be transferred, lienmarked, or pledged in accordance with applicable SEBI regulations.
Please note that:
- Disputed cases between transferor and transferee are not eligible and must be resolved through appropriate judicial forums such as Courts/NCLT.
- Securities already transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) are not eligible for processing under this facility.

Shareholders are advised to contact the Company's Registrar & Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, for guidance on documentation and submission procedures.

KYC UPDATION AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARE CERTIFICATES

Shareholders holding shares in physical form are also requested to update their KYC details including PAN, Demat Account Number, Bank Account Number, E-mail ID, Mobile Number, and Nominee information, using the forms available at https://www.jubilantpharmova.com/investors/investor-information/updation-of-kyc-details
Please submit the duly filled and signed documents/details mentioned below for the updation of your KYC and nomination details against your folio.
- Form ISR-1: Filled and signed, with self-attested KYC documents; and
- Form ISR-2: Filled and signed, with banker's attestation of your signature original cancelled cheque [with your name printed] or bank passbook/statement [with banker's attestation]; and
- Form SH-13: For adding a nominee; or Form ISR-3: If you wish to opt out of nomination.

Shareholders are further advised to dematerialize their shares held in physical form since the transfer of shares held in physical mode has been discontinued.
For assistance, Shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent - Alankit Assignments Limited, Alankit House, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, India, phone: +91 11 42541234, email at rta@alankit.com, or contact the Nodal Officer of the Company at nodalofficer@jubl.com.

For **Jubilant Pharmova Limited**
Sd/-
Naresh Kapoor
Company Secretary
Membership No. A11782

Date: October 22, 2026
Place: Noida

NOTICE
OVOBEL FOODS LIMITED
319/1-329 Golden Point 2nd Floor, Off Queens Road Cross B/H Jain Hospital, Vasanth Nagar, Bengaluru, Karnataka - 560001

Notice is hereby given that pursuant to **SEBI Circular SEBI/HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/1/370/2026 dated 30th January,2026**, a request has been received by the Company from **VIKRAM JEET SINGLA** residing at **B-III 96 Ghania Baghria Street, Rampura Phul-151103** to transfer the below mentioned securities held in the name(s) of the security holder(s) as detailed below, to his name. These securities were claimed to have been purchased by him and could not be transferred in favor.

Folio No.	Name of the Holders & Address	Security Type & Face Value	No. of Securities	Distinctive Nos. From	Distinctive Nos. To
0002112	MAHESH RAVALDAS SACHDEV C/o. Himalay Finance, 388/2, Chokha Bazar, Kalupur, Ahmedabad, Pin 380002	Equity Face Value Rs.10/-	800	9381701 9381801 9381901 9382001 9382101 9382201 9382301 10470401	9381800 9381900 9382000 9382100 9382200 9382300 9382400 10470500
0001571	RUKAMANI KESHWANI C/o. H S Traders, Kacupur, Kotni Rang Rakash, Ahmedabad, Pin 380001		200	9766701 9766901	9766800 9767000
0000074	20TH CENTURY FIN CORPORATION LTD. Protoprima Chambers 2nd Floor, Suren Road, Andheri East, Mumbai. Pin 400093		3600	5651401 5651701 5679101	5651500 5652900 5681400
0002093	BHIKHCHAND CHANDWANI 3rd Floor, Vishnu Bhavan, Kadia Kui Relief Road, Ahmedabad, Pin 380001		300	10077101 10077201 10077301	10077200 10077300 10077400

Any person who has a claim in respect of the abovementioned securities, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 30 days from this date along with appropriate documentary evidence thereof in support of such claim, else the Company will proceed to transfer the securities in favor of **VIKRAM JEET SINGLA**, without any further intimation.

Place : Kolkata
Dated : 23.10.2026

Ovobel Foods Limited
Sd/-
Company Secretory

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक :- लेखा/भ.वि.प्रा./2026-27/15017 - 28 दिनांक :- 17/10/2026

अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 52/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में एए श्रेणी/ए और (योग्यतानुसार) में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 01 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्य का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेवसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/bdabharatpur** एवं **http://sppp.raj.nic.in portal** पर देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन **www.urban.rajasthan.gov.in/bdabharatpur** एवं **http://sppp.raj.nic.in portal** का अवलोकन करें।

UBN विवरण :– WAQ2627WLOB00125

राज.संवाद/सी/26/12263

अधिशाषी अभियंता
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक :- लेखा/भ.वि.प्रा./2026-27/ दिनांक :-

अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 49/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में एए श्रेणी/ए और (योग्यतानुसार) में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 01 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्य का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेवसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/bdabharatpur** एवं **http://sppp.raj.nic.in portal** पर देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन **www.urban.rajasthan.gov.in/bdabharatpur** एवं **http://sppp.raj.nic.in portal** का अवलोकन करें।

UBN विवरण :– WAQ2627WLOB00123

राज.संवाद/सी/26/12261

अधिशाषी अभियंता
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

Madhya Pradesh joins oilseed price support scheme

- Karnataka may join the scheme

SANDIP DAS
New Delhi, October 22

MADHYA PRADESH HAS approved the Centre's price deficit payment scheme (PDPS) — Bhavantar — for soyabean farmers for the kharif season 2026. The scheme seeks to ensure that farmers get the benefit of minimum support price (MSP) for oilseeds without government agencies having to procure the commodities. Physical procurement of commodities by agencies may lead to market distortion and storage losses.

Madhya Pradesh is the only state which has implemented the PDPS where the Centre pays farmers up to 15% of MSP whenever mandi prices dip below the benchmark. Up to 25% of the anticipated production of notified oilseeds is covered under the scheme. States are free to provide any additional coverage at their own cost.

Nishan Warwade, secretary, Department of Farmer Welfare and Agriculture Development, Madhya Pradesh, told *FE* that in kharif season 2025, ₹1,500 crore was paid to over 720,000 farmers under Bhavantar, while during the rabi season, mustard prices were ruling significantly above the MSP.

"As current mandi prices of soyabean are in the range of ₹6,700/quintal — ₹6,800/quintal against the MSP of ₹5,708/quintal for the 2026-27 marketing season, we may not have to carry out Bhavantar as prices are likely to rule over the MSP this season," Warwade said.

An agriculture ministry official said that the Karnataka government has also shown interest in implementing PDPS.

The registration window for Madhya Pradesh farmers for the Bhavantar scheme is open till October 24, the eligibile sale period in the notified mandis to get the benefit of the scheme is from October 22 to January 15, 2027.

The state government has allotted ₹1,500 crore as a one-year credit limit for the Madhya Pradesh Mandi Board.

The modal rate for the first 14 days of the season starting October 22 will be fixed on the weighted average of notified mandis across Madhya Pradesh. Subsequently, the modal rate would be fixed on a daily basis on the weighted average of the preceding 14 days and displayed on the e-mandi portal.

The state government will use digital platforms like agri-stacks to reduce manipulation in the scheme. The platform provides digital IDs to the farmers and capture demographic profiles, landholdings, and cropping patterns.

"By combining market-driven pricing with direct deficit transfers capped to prevent market gaming, PDPS converts market volatility from a threat into a manageable, insured risk," an official note said.

SUPPORTING FARMERS



- Under the scheme, Centre pays farmers up to **15%** of MSP whenever mandi prices dip below the benchmark
- Up to **25%** of the anticipated production of notified oilseeds is covered under the scheme
- The Madhya Pradesh government has allotted **₹1,500 crore** as a one-year credit limit to the Mandi Board

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office : Tinna House No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030.
Website : www.tinna.in, Email : investor@tinna.in, Telephone No.: 011-35657373, CIN : L51909DL1987PLC027186

Tinna® Caring for Environment

INDIA'S Leading End of Life Tyre (ELT) Recycling Company

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

(Rs. in Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30-Sep-26	30-Jun-26	30-Sep-25	30-Sep-26	30-Sep-25	31-Mar-26	30-Sep-26	30-Jun-26	30-Sep-25	30-Sep-26	30-Sep-25	31-Mar-26
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	15,029.18	15,147.72	11,709.23	30,176.90	24,475.62	53,509.03	15,731.86	15,680.74	11,976.06	31,412.60	25,039.54	54,775.96
2.	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,229.79	2,701.76	1,693.64	4,931.55	3,171.46	7,228.36	2,326.13	2,732.65	1,645.36	5,058.78	3,171.45	7,233.03
3.	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,229.79	2,701.76	1,693.64	4,931.55	3,171.46	7,228.36	2,326.13	2,732.65	1,645.36	5,058.78	3,171.45	7,233.03
4.	Net profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,606.07	2,011.22	1,233.80	3,617.29	2,332.06	5,323.54	1,703.93	2,056.64	1,176.68	3,760.57	2,350.77	5,284.13
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	1,606.07	2,011.22	1,233.80	3,617.29	2,332.06	5,113.92	1,722.51	2,073.54	1,232.23	3,796.05	2,412.67	5,231.53
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58
7.	Other Equity						27,509.68						28,236.02
8.	Earning Per Share(face value of Rs 10/- each share) (for continuing & discontinued operation)												
	(a) Basic	8.91	11.16	7.01	20.08	13.41	29.90	9.46	11.42	6.87	20.87	13.71	29.68
	(b) Diluted	8.91	11.16	7.01	20.06	13.40	29.88	9.45	11.41	6.86	20.86	13.69	29.67

NOTE :-
1. The above is an extract of the detailed format of Half year/Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Half year/Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com , www.nseindia.com and on the company's website www.tinna.in
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee on 22nd October, 2026 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 22nd October, 2026 and statutory Auditor has carried out limited review of the same.

Place : New Delhi
Date : October 22, 2026

FOR **TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED**
Managing Director

तीन माह में सिर्फ आठ पास, परवान नहीं चढ़ पा रही एमएसटी योजना

हर्ष मिश्रा
नोएडा, 22 अक्तूबर।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा से मेरठ तक रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों और छात्र-छात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जुलाई में शुरू हुई इस सुविधा के तहत तीन महीने में मेरठ रूट पर महज आठ पास बने हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव और जटिल प्रक्रिया के चलते यात्रियों को अब भी पूरा किराया देकर सफर करना पड़ रहा है।

नोएडा डिपो में 200 से अधिक बसें

> **नोएडा** डिपो में 200 से अधिक बसें विभिन्न रूटों पर संचालित होती हैं। इनमें नोएडा-मेरठ मार्ग प्रमुख है।

विभिन्न रूटों पर संचालित होती हैं। इनमें नोएडा-मेरठ मार्ग प्रमुख है, जहां 40 से अधिक बसें चलती हैं और रोजाना करीब 10 हजार यात्री सफर करते हैं। इसी को देखते हुए इस रूट पर एमएसटी योजना शुरू की गई थी, लेकिन यात्रियों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच सकी।

अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता की कमी के कारण पास कम बन रहे हैं, जबकि यात्रियों के मुताबिक डिपो प्रशासन ने योजना की जानकारी देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सेक्टर-35 स्थित मोरना डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोहिताश कुमार के अनुसार, सितंबर में नोएडा डिपो से विभिन्न रूटों के कुल 548 मासिक पास बनाए गए, जिनमें 60 फीसदी छात्र थे।

मेरठ से नोएडा सेक्टर-62 नौकरी करने आने वाले अरुण शर्मा को एमएसटी सुविधा की जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि न परिचालक ने बताया, न डिपो पर कहीं इसकी जानकारी पढ़ने को मिली। नोएडा से मेरठ रोजाना सफर करने वाली रश्मि ने भी योजना की जानकारी होने से इनकार किया। वहीं, मेरठ से नोएडा के आइएमएस कालेज आने वाले आर्यन ने बताया कि उन्होंने पास बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन आधार और आइडी कार्ड दिखाने के बाद भी कालेज से लिखवाकर लाने को कहा गया। परिवहन निगम के नियमों के अनुसार, सामान्य यात्री 100 किलोमीटर के दायरे में एमएसटी बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 60 एकल यात्राओं के बजाय 36 यात्राओं के बराबर किराया देना होता है। छात्रों के लिए 60 किलोमीटर की सीमा है और उन्हें 26 एकल यात्राओं के मूल्य पर पास मिलता है। गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने यात्रियों से डिपो पहुंचकर पास बनवाने की बात कही है।

प्रस्ताव 29,000, निपटारा सिर्फ 2,900 का

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की रफ्तार धीमी

भूपेंद्र पांचाल
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

> **अनधिकृत** कालोनियों के नियमन से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार कार्यान्वयन एजंसी के तौर पर काम कर रही है। जबकि इससे पहले इसका जिम्मा डीडीए के पास था।

राष्ट्रीय राजधानी की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने को लेकर दिल्ली सरकार भले ही बड़े दावे कर रही हो लेकिन योजना की रफ्तार काफी धीमी है। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष पेश की गई प्रगति रिपोर्ट में साफ किया गया है कि उसको पीएम-उदय योजना के तहत अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण से जुड़े 29,000 प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से राजस्व विभाग 2,900 प्रस्तावों का ही निपटारा कर पाया है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार अभी तक केवल दस फीसद मामलों को ही निपटाने का काम कर पाई है। केंद्र ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार की इस तरह की प्रगति पर असंतुष्टि जताई है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अनधिकृत कालोनियों के नियमन से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार कार्यान्वयन एजंसी के तौर पर काम कर रही है। जबकि इससे पहले इसका जिम्मा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास था। गत अप्रैल को दो अलग अलग आदेश जारी किए गए थे जिनके बाद नियमों में संशोधन कर डीडीए की जगह यह पूरा काम दिल्ली सरकार को सौंपा गया था। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीनस्थ राजधानी विकास विभाग (डीसीडी) इस पूरे मामले को बारीकी से देख रहा है।

सूत्र बताते हैं कि डीसीडी की स्थापना इस साल जुलाई में इसी मकसद से की गई थी कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी विकास, योजना और प्रबंधन पर विशेष बल रहे। एक अधिकारी के मुताबिक, डीसीडी के सचिव ने सरकार को नियमों के तहत लंबित आवेदनों को भी जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। पीएम उदय योजना के नियमों को समझने पर बनी असमंजस की स्थिति भी साफ की गई है कि अधिसूचना के खंड छह में सूचीबद्ध किसी भी अनधिकृत कालोनी का निवासी इस योजना के लिए पात्र है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अक्तूबर 2019 के नियमों में विस्तृत जानकारी दी गई है।

अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि अनधिकृत कालोनियों की कट आफ डेट पर बनी कुछ समस्या पर भी डीसीडी सचिव ने कार्यान्वयन एजंसी को स्पष्ट किया है कि कोई भी अनधिकृत कालोनी जो एक जून 2014 को अस्तित्व में थी और कोई भी ऐसी कालोनी जो एक जनवरी 2015 (कट-आफ तारीख) तक 50 फीसद विकसित हो चुकी थी, वह अपने निवासियों को मान्यता दिलाने के लिए पात्र है। बताया जाता है कि 1,511 कालोनियों के नियमन को रफ्तार देने के लिए के लिए और अधिक जीआइएस एजंसियों के पैनल को शामिल किया जा रहा है। डीडीए जीआएएस सर्वेक्षणों में तेजी लाने का काम करेगा। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान (बिसाग-एन) के साथ पीएम-उदय पोर्टल में आने वाली समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है।

जल आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए बनाए जा रहे भूमिगत जलाशय : रेखा गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई और उसके पुनरुद्धार की परियोजनाओं को दिल्ली के लिए महत्त्वपूर्ण कदम बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजधानी में जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए भूमिगत जलाशयों का भी निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि द्वारका में 50 एमजीडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र कार्यरत है। उन्होंने चंद्रावल में 105 एमजीडी क्षमता वाले संयंत्र और बवाना में दो एमजीडी क्षमता वाले पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) संयंत्र से संबंधित कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिजवासन, पल्ला, सिरसपुर और रजोकरी में नए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

वहीं, संगम विहार, तुगलकाबाद, शाहदरा, चाणक्य प्लेस और जनकपुरी सहित अन्य क्षेत्रों में भी भूमिगत जलाशयों से जुड़े कार्यों को मंजूरी के बाद आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने लगभग डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 29 विकेंद्रीकृत एसटीपी की परियोजनाओं के कार्य आबंटित किए हैं।

त्रिपुरा के युवक के साथ नस्लीय व्यवहार करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

पुलिस ने त्रिपुरा के युवक के साथ कथित रूप से नस्लीय व अपमानजनक व्यवहार करने के आरोपी 'कंटेंट क्रिएटर' को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने घटना की प्रसारित वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।

उत्तर दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निहारिका भट्ट ने बताया कि कंटेंट क्रिएटर अमीर शौकीन सदर बाजार क्षेत्र का एक बुरे चरित्र (बीसी) का व्यक्ति है और पहले भी झगड़े के कई मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे करोल बाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक आपरेशंस (आइएफएसओ) इकाई कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के प्रसारित वीडियो की जांच कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई ने आइएफएसओ इकाई को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर वीडियो की जांच करने के लिए कहा है। इससे पहले पुलिसकर्मियों ने आमिर शौकीन नाम के कंटेंट क्रिएटर के आवास का भी दौरा किया लेकिन वह वहां नहीं मिला। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वीडियो की व्यापक निंदा के बीच सामने आया है।

स्थानांतरण रुकवाने के लि[...] सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी [...] के बिना जारी कर दिए पत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचा[...] स्थानांतरित होने के बाद भी नई जगहों पर नियुक्ति के निर्देशों का अनुपाल[...] नहीं कर रहे हैं। विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें कु[...] शाखाएं/कार्यालय की ओर से ऐसे फर्जी तरह से पत्र जारी किए जा रहे [...] जिनमें कर्मचारियों को जहां थे, वहीं पर बना[...] रखने के अनुरोध किए गए। पत्रों को सक्ष[...] प्राधिकारी की ओर से मंजूरी मिलने का हवाल[...] देकर गलत दावा कर जारी किया गया है। यह पू[...] मामला विभाग की ओर से 13 अक्तूबर को जा[...] आदेश में कई अधिकारियों और कर्मचारियों [...] स्थानांतरित (ट्रांसफर) किए जाने से जुड़ा बता[...] गया है। इन कर्मचारियों ने नई जगह पर नियुक्[...] संभालने की रिपोर्ट नहीं की।

> **समाज** कल्याण विभाग ने मामले को बताया गंभीर, परिपत्र जारी कर दी सभी विभागों को चेतावनी।

समाज कल्याण विभाग मुख्यालय की ओर से इस बाबत एक परिप[...] जारी किया गया है जिसमें सभी कार्यालयों और अधिकारियों को अ[...] सख्त सलाह दी गई है कि वह संज्ञान में आए इस तरह की अनधिकृ[...] गतिविधियों से बचने का प्रयास करें। गलत दावा करने वाले ऐसे पत्रों [...] स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को जहां पर वह हैं, वहीं पर बनाए रख[...] के अनुरोध किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के उप निदेश[...] (प्रशासन-2) की ओर से जारी आदेश में लिटिगेशन ब्रांच की ओर [...] 21 अक्तूबर को ऐसा पत्र जारी किया गया है जिसमें पता चला कि बि[...] किसी अधिकार के निदेशक (समाज कल्याण) की मंजूरी का हवाल[...] उसमें दिया गया है। सभी कार्यालयों और अधिकारियों को चेतावनी दे[...] हुए कहा गया है कि आधिकारिक मंजूरियों के बारे में गलत जानका[...] देना, नियमों का उल्लंघन और कदाचार माना जाएगा।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रशासनिक भवन, चेंबूर, मुंबई 400 074, महाराष्ट्र, भारत
फोन: 00 91 22 2552 2242 / 2753 / 2608
फैक्स: 00 91 22 2552 2320
CIN – L24110MH1978GOI020185

नवरत्न कंपनी

एक वर्ष की अवधि के लिए गैर-बाध्यकारी मात्रा हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) करके उर्वरकों एवं उर्वरक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित व्यापारियों को पैनल में शामिल करने हेतु वैश्विक निविदा

उत्पाद:	उर्वरक एवं उर्वरक कच्चा माल
संदर्भ संख्या:	DC / MR / EMP / RM FERTILIZERS: 21905

एक वर्ष की अवधि के लिए गैर-बाध्यकारी मात्रा हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) करके उर्वरकों एवं उर्वरक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित व्यापारियों को पैनल में शामिल करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अंतिम तिथि एवं समय: 14 नवंबर, 2026, भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक।

पैनल में शामिल करने से संबंधित संपूर्ण विवरण RCF की वेबसाइट **www.rcfltd.com** पर Trombay Tenders अनुभाग में उपलब्ध हैं।

दस्तावेज़ जमा करने हेतु वेबसाइट
https://eprocure.gov.in/eprocure/app

CPP निविदा आईडी: 2026_RCFL_931245_1 **महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)**

साथ बढ़ें समृद्धि की ओर

राइट्स लिमिटेड

(एक नवरत्न सीपीएसई)

पंजीकृत कार्यालयः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092
वेबसाइटः www.rites.com; ई–मेलः cs@rites.com
CIN: L74899DL1974GOI007227

शेयरधारकों को सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अंतरण संबंधी सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) तथा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम, 2016) एवं उसके अंतर्गत किए गए वैधानिक संशोधनों के अनुसरण में, कंपनी से यह अपेक्षित है कि अप्रदत्त लाभांश राशि, जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित किए जाने की तिथि से लगातार सात (7) वर्षों की अवधि तक अप्रदत्त एवं अदावाकृत हो, को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करे।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और आईईपीएफ नियम, 2016 के अनुसरण में, वे सभी शेयर, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरिक किया जाना है।

जिन शेयरों के लिए लाभांश लगातार सात वर्षों तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत है और जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना चाहिए, उनके संबंध में शेयरधारकों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट **https://www.rites.com/InvestorResource** पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रथम अंतरिम लाभांश @ ₹6/- प्रति इक्विटी शेयर 27 दिसंबर, 2019 को घोषित किया गया था तथा उक्त लाभांश का भुगतान जनवरी 2020 के माह में किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के उक्त प्रथम अंतरिम लाभांश की अवैतनिक एवं अदावाकृत राशि मार्च, 2027 के माह में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित किए जाने हेतु देय हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने लगातार सात वर्षों की अवधि के दौरान अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, उनके संबंधित इक्विटी शेयर भी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण प्राधिकरण (IEPF Authority) के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यदि कोई राशि/शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाते हैं, तो उसके संबंध में उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 तथा आईईपीएफ नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 'विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण' से दावा करना होगा।

'विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण' से प्रतिदाय/शेयरों के संबंध में दावा करने में होने वाली असुविधा से बचने के लिए, जिन शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रथम अंतरिम लाभांश से संबंधित वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं/उनके संबंध में दावा नहीं किया है/प्राप्त नहीं किया है, वे अपने दावे आरटीए अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली–110062, दूरभाषः (011) 29961281, 29961283, फैक्सः (011) 29961284, ई–मेलः **beetalrta@gmail.com** एवं **rites@beetalfinancial.com** या कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, शिखर, प्लॉट संख्या–1, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 में कंपनी के नोडल अधिकारी अर्थात् कंपनी सचिव के पास दर्ज करा सकते हैं। शेयरधारक कृपया यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई दावा हो, तो वह वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम अंतरिम लाभांश के लिए जनवरी 31, 2027 तक या उससे पहले आरटीए/कंपनी को प्राप्त हो जाए, ताकि अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश राशि एवं संबंधित शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित न किए जाएं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैटरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में वे अपनी ई–मेल आईडी तथा अन्य संबंधित ब्यौरे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अद्यतन रखें तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में कंपनी/आरटीए के साथ अपने ब्यौरे अद्यतन रखें।

राइट्स लि. के लिए एवं की ओर से
हस्ता/–
(निखिल अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एम. सं.: A42626

दिनांकः 22.10.2026
स्थानः गुरुग्राम

We Shape What Shapes Lives www.rites.com

कार्यालय वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. सं.163/2024 **नीलामी बिक्री की तिथिः 20/11/2026**

बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत बिक्री की उद्घोषणा

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम मिर्जा इरफान बेग

(सीडी 1) **मिर्जा इरफान बेग पुत्र मिर्जा शाहरुख बेग, मैसर्स स्टार मैन्युफैक्चरिंग कं. के प्रोप.**
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 711, फाटक धोबियान, फराश खाना, उत्तरी दिल्ली–110006
अन्य पताः सी 41, बी/3 ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, यू.पी.
अन्य पताः 279, कूचा घासीराम, चांदनी चौक, दिल्ली–110006
अन्य पताः 1806/2, गली नीम वाली, कटरा शेख चंद, फराश खाना, दिल्ली–110006
(सीडी2) **अखलाक अहमद पुत्र समीर अहमद,** 1250, कटरा हुसैन मिर्जा, फराश खाना, दिल्ली–110006
(सीडी3) **उबैद शहीद पुत्र रशीद शहीद,** 1188, पहली मंजिल, तिलक बाजार, फाटक हबाश खान, नया बाजार, नॉवेल्टी सिनेमा, दिल्ली–110006
(सीडी4) **सलामत अली पुत्र आशिक अली,** 1209, चूड़ीवालान, वसीम गेस्ट हाउस, जामा मस्जिद, दिल्ली–110006

1. जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–I द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं. 163/2024, टी.ए. नं. 1089/2023 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रु. 2,37,34,788.06 साथ में टीए की फाईलिंग की तिथि अर्थात 10.02.2022 से @12.25% प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार और वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और शुल्क सहित प्रमाणपत्र देनदार की लागत का भुगतान भी करना होगा।
2. और जहाँ पर अधोहस्ताक्षर ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. और जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा रु. 2,37,34,788.06 साथ में टीए की फाईलिंग की तिथि अर्थात 10.02.2022 से @12.25% वार्षिक ब्याज के साथ वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार और वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और शुल्क सहित प्रमाणपत्र देनदार की लागत का भुगतान भी करना होगा। सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव मे सम्पत्ति की ई–नीलामी वेबसाईट : **https:/bankauctions.in** पर ''ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडींग'' के माध्यम से दिनांक **20.11.2026 को दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक** (अर्पाह्न 01.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) किया जायेगा।
4. ई–नीलामी हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी
1.	**दूसरी मंजिल पर आवासीय फ्लैट, बिना छत के अधिकारों के जिसका संख्या बी–24, खसरा संख्या 1310, हयात एन्क्लेव, ग्राम लोनी, तहसील एवं जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर**	रु. 28.00 लाख	रु. 2.80 लाख

5. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि डी डी/पे आर्डर के रुप में जो कि **"Recovery Officer,** DRT-I, Delhi-A/c **R.C No. 163/2024** के पक्ष में दिल्ली में देयरोग्य हो स्व–प्रमाणित पहचान साक्ष्य (वोटर आई डी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट) और पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति सहित, जिसमें पत्राचार का पता अंकित हो, जो वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 18.11.2026 को अर्पाह्न 05.00 बजे से पहले जमा कराना होगा। धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नही की जायेगी। असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर ई–नीलामी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीधे रजिस्ट्री, डीआरटी–I, दिल्ली से ईएमडी वापिस लेगा।
6. धरोहर राशि वाले लिफाफे के उपर **"R.C No. 163/2024"** अंकित होना चाहिए और साथ में बोलीदाता का ई–मेल आई डी और मोबाईल न. भी अंकित होना चाहिए।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को हमारे ई–नीलामी सर्विस प्रोवाईडर के पास पहले पंजीकृत कराना होगा और ई–नीलामी में भाग लेने के लिए यूजर आई डी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और मेसर्स 4 क्लोजर, 605ए, 6वीं मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद – 500038, श्री उत्कर्ष आदेश – 9515160064, 8142000030, 8142000066, ईमेलः info@bankauctions.in, shailender@bankauctions.in के साथ सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।
8. संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल के साथ स्वयं को पंजीकृत करना और पहले से ही उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक है, जो मेसर्स 4 क्लोजर से उपरोक्त ई–नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है।
9. **संबंधित बैंक अधिकारियों /हेल्पलाइन नं. आदि का विवरण निम्नानुसार हैः**

नाम एवं पदनाम	ई-मेल और फोन नं.
श्रीमती शिप्रा काया (मुख्य प्रबंधक)	मो. 7428926731 ईमेलः **bmdelb0290@centralbank.bank.in**

10. जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे अधिकार हैं जिनके लिए प्रमाणपत्र देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उदघोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिक्री **''जहां है जैसी है'' और ''जैसी है जैसी है''** शर्त पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों की प्रतियों का अवलोकन करें और संपत्ति विवरण ऋणभार आदि की पहचान और शुद्धता की जांच करें।
11. संपत्ति की बिक्री की तारीख से पहले संभावित बोलीदाताओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है जिसके लिए बैंक के उपरोक्त नामित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
12. यदि कोई बोली या सभी बोलियाँ अस्वीकार्य पाई जाती हैं तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
13. ऐसे बोलीदाताओं को असफल बोली लगाने वाले की ईएमडी पहचान प्रमाण पत्र जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर–आईडी वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर डीआरटी–I की रजिस्ट्री से प्राप्त होगी। असफल बोलीकर्ता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और, यदि उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होते हैं, तो तुरंत वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली/रजिस्ट्री, डीआरटी–I, दिल्ली या बैंक से संपर्क करें।
14. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
15. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट बिक्री हेतु रखा जाएगा, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।
16. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा।
17. आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उदघोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उदघोषणा में चूक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।
18. निविदा राशि जहाँ से बिड राशि को बढ़ाया जाएगा रु. 20,000/– (रु. बीस हजार केवल) निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट के लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।
19. किसी भी लॉट के सर्वोच्च/उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाऐगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नही है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।
20 सफलतम/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली, खाता R.C. No. 163/2024 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने के पश्चात् यह ऑनलाइन निलामी के बंद होने से तीन दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।
21 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य की बकाया 75 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, डी आर टी–I, दिल्ली, खाता R.C. No. 163/2024 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर के द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले वसूली अधिकारी, डी आर टी–I, दिल्ली के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाएगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000/– तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसूली अधिकारी के ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए)।
22 यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नही किया जाता है, तो सम्पत्ति को बिक्री की नई उदघोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चो को चुकाने के बाद बची रकम यदि अधोहस्ताक्षरी इसे सही समझता है, तो सरकार के खाते में जब्त कर दी जायेगी तथा दोषी क्रेता सम्पत्ति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद मे बेचा जा सकता है, के दावे जब्त कर लिए जायेंगें।

सम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह–स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1.	दूसरी मंजिल पर आवासीय फ्लैट, बिना छत के अधिकारों के जिसका संख्या बी–24, खसरा संख्या 1310, हयात एन्क्लेव, ग्राम लोनी, तहसील एवं जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 154 वर्ग मी.	कोई सूचना प्राप्त नहीं		

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office : Tinna House No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030.
Website : www.tinna.in, Email : investor@tinna.in, Telephone No.: 011-35657373, CIN : L51909DL1987PLC027186

Tinna® Caring for Environment

INDIA'S Leading End of Life Tyre (ELT) Recycling Company

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

(Rs. in Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30-Sep-26	30-Jun-26	30-Sep-25	30-Sep-26	30-Sep-25	31-Mar-26	30-Sep-26	30-Jun-26	30-Sep-25	30-Sep-26	30-Sep-25	31-Mar-26
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	15,029.18	15,147.72	11,709.23	30,176.90	24,475.62	53,509.03	15,731.86	15,680.74	11,976.06	31,412.60	25,039.54	54,775.96
2.	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,229.79	2,701.76	1,693.64	4,931.55	3,171.46	7,228.36	2,326.13	2,732.65	1,645.36	5,058.78	3,171.45	7,233.03
3.	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,229.79	2,701.76	1,693.64	4,931.55	3,171.46	7,228.36	2,326.13	2,732.65	1,645.36	5,058.78	3,171.45	7,233.03
4.	Net profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,606.07	2,011.22	1,233.80	3,617.29	2,332.06	5,323.54	1,703.93	2,056.64	1,176.68	3,760.57	2,350.77	5,284.13
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	1,606.07	2,011.22	1,233.80	3,617.29	2,332.06	5,113.92	1,722.51	2,073.54	1,232.23	3,796.05	2,412.67	5,231.53
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58
7.	Other Equity						27,509.68						28,236.02
8.	Earning Per Share(face value of Rs 10/- each share) (for continuing & discontinued operation)												
	(a) Basic	8.91	11.16	7.01	20.08	13.41	29.90	9.46	11.42	6.87	20.87	13.71	29.68
	(b) Diluted	8.91	11.16	7.01	20.06	13.40	29.88	9.45	11.41	6.86	20.86	13.69	29.67

NOTE :-

1. The above is an extract of the detailed format of Half year/Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Half year/Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com , www.nseindia.com and on the company's website www.tinna.in
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee on 22nd October, 2026 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 22nd October, 2026 and statutory Auditor has carried out limited review of the same.

Place : New Delhi
Date : October 22, 2026

FOR **TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED**
Managing Director